

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की वित्तीय स्वीकृति की द्वितीय किस्त के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भ०प्रा०/6442/2015-16 दिनांक 07.10.2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 1,16,709 कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप धनराशि रू०-3501.27 लाख (रू० पैंतीस करोड़ एक लाख सत्ताइस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू०-1167.09 लाख (रू० ग्यारह करोड़ सडसठ लाख नौ हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-4668.36 (रू० छियालिस करोड़ अडसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की द्वितीय किस्त के रूप में संलग्नक जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस०सी०एस०पी० हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिह्नित कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम-हेल्पर के मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं- 0103-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कूकिंग लागत आदि (के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-11-1338/दस-2015 दिनांक-10 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक-यथोक्त

भकदीय,
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 9- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
- 10- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग ।
- 11- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
- 12- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 13- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 14- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन ।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

Enclosure of G O No.

[Mid Day Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers
FY 2015-16: Grant -83 (SCSP) PLAN
2nd Installment - Central & State Share (in Rs. Lac)

(in Rs. Lac)

| Sl. No. | Districts | No. of Cook-cum-Helpers (SCP category) expected to be working in 2015-16 as per information given by Districts | No. of months for which Funds are being released | Central Share Funds (@ Rs 750/cook/month) being released as 2nd installment | State Share Funds (@ Rs 250/cook/month) being released as 2nd installment | Total Funds being released as 2nd Installment |
|---------|------------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 1 | Agra | 1179 | 4 | 35.3700 | 11.7900 | ✓ 47.16 |
| 2 | Aligarh | 3286 | 4 | 98.5800 | 32.8600 | ✓ 131.44 |
| 3 | Allahabad | 4566 | 4 | 136.9800 | 45.6600 | 182.64 |
| 4 | Ambedkar nagar | 1427 | 4 | 42.8100 | 14.2700 | 57.08 |
| 5 | Auraiya | 456 | 4 | 13.6800 | 4.5600 | 18.24 |
| 6 | Azamgarh | 4156 | 4 | 124.6800 | 41.5600 | 166.24 |
| 7 | Badaun | 1038 | 4 | 31.1400 | 10.3800 | ✓ 41.52 |
| 8 | Baghpat | 545 | 4 | 16.3500 | 5.4500 | 21.80 |
| 9 | Bahraich | 2656 | 4 | 79.6800 | 26.5600 | 106.24 |
| 10 | Ballia | 1456 | 4 | 43.6800 | 14.5600 | 58.24 |
| 11 | Balrampur | 755 | 4 | 22.6500 | 7.5500 | 30.20 |
| 12 | Banda | 1628 | 4 | 48.8400 | 16.2800 | ✓ 65.12 |
| 13 | Barabanki | 1363 | 4 | 40.8900 | 13.6300 | 54.52 |
| 14 | Bareilly | 1019 | 4 | 30.5700 | 10.1900 | ✓ 40.76 |
| 15 | Basti | 2183 | 4 | 65.4900 | 21.8300 | 87.32 |
| 16 | Bhadohi | 1053 | 4 | 31.5900 | 10.5300 | 42.12 |
| 17 | Bijnour | 2038 | 4 | 61.1400 | 20.3800 | ✓ 81.52 |
| 18 | Bulandshahar | 1617 | 4 | 48.5100 | 16.1700 | ✓ 64.68 |
| 19 | Chandauli | 2360 | 4 | 70.8000 | 23.6000 | 94.40 |
| 20 | Chitrakoot | 1365 | 4 | 40.9500 | 13.6500 | 54.60 |
| 21 | CSM Nagar (Amethi) | 1133 | 4 | 33.9900 | 11.3300 | 45.32 |
| 22 | Deoria | 1871 | 4 | 56.1300 | 18.7100 | 74.84 |
| 23 | Etah | 819 | 4 | 24.5700 | 8.1900 | ✓ 32.76 |
| 24 | Faizabad | 1691 | 4 | 50.7300 | 16.9100 | 67.64 |
| 25 | Farrukhabad | 320 | 4 | 9.6000 | 3.2000 | ✓ 12.80 |
| 26 | Fatehpur | 2132 | 4 | 63.9600 | 21.3200 | ✓ 85.28 |
| 27 | Firozabad | 451 | 4 | 13.5300 | 4.5100 | 18.04 |
| 28 | Gautambuddh ngr | 0 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
| 29 | Ghazipur | 2178 | 4 | 65.3400 | 21.7800 | 87.12 |
| 30 | Ghaziabad | 67 | 4 | 2.0100 | 0.6700 | 2.68 |
| 31 | Gonda | 1710 | 4 | 51.3000 | 17.1000 | 68.40 |
| 32 | Gorakhpur | 3507 | 4 | 105.2100 | 35.0700 | 140.28 |
| 33 | Hameerpur | 975 | 4 | 29.2500 | 9.7500 | ✓ 39.00 |
| 34 | Hardoi | 2814 | 4 | 84.4200 | 28.1400 | 112.56 |
| 35 | Hathras (Mahamaya Ngr) | 980 | 4 | 29.4000 | 9.8000 | 39.20 |
| 36 | Itawah | 246 | 4 | 7.3800 | 2.4600 | ✓ 9.84 |
| 37 | J.P. Nagar (Amroha) | 759 | 4 | 22.7700 | 7.5900 | 30.36 |

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम-हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेंगे तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं- 0103-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि (के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-ई-11-1338/दस-2015 दिनांक-10 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 2- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ ।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
- 9- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
- 10- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग ।
- 11- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० ।
- 12- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० ।
- 13- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ०प्र० ।
- 14- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ०प्र० शासन ।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
11.12.15
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।